तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते पेश करने दस्तावेजात दिनांक 18/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते पेश करने दस्तावेजात दिनांक 28/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
	28/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। अतः आदेश की पालना में दिनांक 8/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	8/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। अतः आदेश की पालना में दिनांक 22/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
22/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते पेश करने दस्तावेजात दिनांक 6/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
6/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते पेश करने दस्तावेजात दिनांक 9/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
9/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी

M.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 6/9/24 (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 46/2023
प्रकरण दायर दिनांकः—14.07.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः—9.12.2024

उनवान

1. जौहरीलाल पुत्र भूरया जाति मीणा निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या पुराना 151 नया 153 के खसरा नंबर 693 लगायत 720 कुल किता 28 रकबा 6.8300 हैक्टेयर वाके रामा कोलवा में स्थित है। राजस्व लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम ईश्वरलाल पुत्र भूरया राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। प्रार्थी का आधार कार्ड एवं पहचान पत्र में असल नाम जौहरी लाल है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम ईश्वरलाल कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना जरूरी है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम होने के कारण प्रार्थी सरकार से मिलने वाली सहायता भी नहीं ले सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ईश्वरलाल पुत्र भूरया के स्थान पर जौहरीलाल पुत्र भूरया राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बॉदीकुई जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। साक्ष्य शपथ पत्र जौहरीलाल पुत्र भूरया जाति मीणा निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2074—77 ग्राम कोलवा खाता सं. नया 153 पुराना 151 में ईश्वरलाल पुत्र भूरया हिस्सा 1/16 जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज है। संलग्न दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम जौहरी लाल पुत्र भूरया दर्ज है। पटवारी हल्का कोलवा, भू.अ.नि. गुढलिया व पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने साक्ष्य के रूप में ग्राम कोलवा की जमाबंदी खाता संख्या नया 14 प्रस्तुत की है जिसमें वादी का नाम जौहरीलाल पुत्र भूरया अंकित है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पहचान पत्र, जन

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पास बुक, आधार कार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम जौहरी लाल पुत्र भूरया अंकित है।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम ईश्वरलाल पुत्र भूरया गलत दर्ज कर दिया गया जबकि का सही नाम जौहरी लाल पुत्र भूरया है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोलवा तह. बॉदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि खाता सं. नया 151 पुराना 153 की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी को तहसीलदार जॉच कर प्रार्थी का सही नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 9.12.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

9/12/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी